

## प्रस्तावना (PREAMBLE)

### प्रस्तावना का महत्व

1. प्रस्तावना इस बात की घोषणा करती है कि भारत में शांति का अन्तिम स्थायी भारत की आस बनना ही है।  
जैसे - हम भारत के लोग।
2. प्रस्तावना से यह स्पष्ट होता है कि भारत की संविधान को इस देश की जनता ने बनाया ही है। और स्वीकार की लिया है। जैसे - अंगीकृत, अधिनियमित, आदर्शित।
3. प्रस्तावना हमारे शासन के स्वरूप की स्पष्ट करती है। जैसे - प्रगल्भता, समाजवाद, पंचमैरपेक्षता लोकतंत्र और गणतंत्र।
4. प्रस्तावना हमारे समस्त कुछ आदर्शों को रखती है। जिसे प्राप्त करना हमारे शासन व्यवस्था का लक्ष्य होगा। जैसे - न्याय, स्वतंत्रता, समानता, धर्म की गरिमा व कुल इत्यादि।
5. चूंकि किसी संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है। अतः प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने में मदद करता है।

6.

भारतीय संविधान 26 Nov 1949 को स्वीकार किया गया था। इसकी जानकारी प्रस्तावना में ही मिली थी।

R.M मुंशी (कु-हैया लाल मुंशी) के अनुसार -

“प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपुत्री है”

जिस प्रकार एक जन्मपुत्री व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति की रूपरेखा देती है। उसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत देश के व्यक्ति की रूपरेखा तैयार करती है। यह बताती है - कि भारत देश - लोकतन्त्रात्मक, पंचमूलिक, समाजवादी, -यात्रवादीवादी इत्यादि होगा।

ठाकुर दास भार्गव - के अनुसार -

“प्रस्तावना संविधान की आत्मा है”

जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है उसी प्रकार संविधान के आदर्श जैसे - न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बिना

संविधान का कोई महत्व नहीं है।

न्यायमूर्ति राजेन्द्र गडकर के अनुसार -

“अव्यभिच प्रस्तावना से आसन करने की कोई

विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का समझने की कुंजी है।”

जिस प्रकार कुंजी ताले को खोलती है उसी प्रस्तावना संविधान की कुंजीयों को खोलने में सुवहारी है।